न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/20/2020	2020/00022	19.02.2020	24.05.2022

1. लहरी पुत्र लालाराम,
2. किशोर पुत्र लालाराम,
3. हजारी पुत्र लालाराम, जाति मीना, निवासी डाबला मीना, तहसील राजगढ, जिला अवलर।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजगढ दिनांक 03.02.2020 प्रकरण संख्या 41/2019 अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

उपस्थितः–

01. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल — –वकील अपीलाण्ट्स
02. राजकीय अभिभाषक — – रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 03.02.2020 प्रकरण संख्या 41/2019 जिसके द्वारा संवत 2076 में ग्राम डाबला मीना की आराजी खसरा न0 262/471 रकबा 0.09 है0 किस्म सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता में अतिक्रमित रकबा 0.05 है0 में चना, सरसों की बुवाई व पक्की चारदीवारी का निर्माण करने पर बेदखली की कार्यवाही एवं पैनल्टी कायम किये जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। साथ ही तहत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि पटवारी हल्का ने हम अपीलान्ट के विरूद्ध एक गलत रिपोर्ट बाबत आराजी खसरा न0 262/471 ग्राम डाबला मीना तहसील राजगढ पर अतिक्रमण करने बाबत प्रस्तुत की जिस पर हम अपीलान्ट ने अदालत में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा न0 260 व 340 हम प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है जिस पर बुजुर्गान के समय से ही हम काबिज हैं। काश्त करते चले आ रहे हैं तथा हमारी दीवार काफी पुरानी बनी हुई है। हमने कोई अतिक्रमण किसी प्रकार का

24/05/2022
अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

नहीं किया है। जिस पर तहसीलदार राजगढ ने भू0अ0 निरीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त की। भू0अ0 निरीक्षक ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट की ताईद की जिसके आधार पर हम अपीलान्ट को 05 ऐयर रकबे से बेदखल करने व पैनल्टी कायम करने का आदेश विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 03.02.2020 को पारित कर दिया गया। जिस आदेश के विरूद्ध अपील पेश है। यह अपील तहसीलदार राजगढ के आदेश दिनांक 03.02.2020 के विरूद्ध अन्दर अवधि पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर आदेश पारित किया गया है। हम अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। हम अपीलान्ट ने कथन किया है कि आराजी खसरा न0 262 व 340 हमारी खातेदारी की आराजी है तथा पुराना डण्डा बना हुआ है। रास्ता बदस्तूर चालू है। मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है परन्तु इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। डण्डे पास पुराना महादेवजी महाराज का पुराना शिवालय बना हुआ है। अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। तहसीलदार राजगढ को उक्त आदेश पारित करने से पूर्व रास्ते की पैमाइश करानी चाहिए थी। यह रास्ता सार्वजनिक रास्ता भी नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 03.02.2020 को निरस्त फरमावें।

तहत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार संवत 2076 वाके ग्राम डाबला मीना के आराजी खसरा न0 262/471 रकबा 0.09 है0 में से 0.05 है0 गैर मुमकिन रास्ते पर चना, सरसों की बुवाई व पक्की चारदीवारी का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस जवाब में दिनांक 09.12.2019 में कथन किया गया कि मिन अपीलान्ट का आराजी खसरा न0 262 व 340 वाके ग्राम डाबला मीना का है। आराजी खसरा न0 262 हम अपीलान्ट के बुजुर्गो से प्राप्त विरासत है। हम अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय से वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त करने पर तहसीलदार राजगढ के पत्र 436 दिनांक 26.02.2020 के द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 26.02.2020 भिजवाई गई है जिसमें आराजी खसरा नं0 262/471 रकबा 0.09 है0 में से 0.05 है0 गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम डावला मीना पर लहरी, किशोर व हजारी पिता लालाराम जाति मीना निवासी डाबला मीना के द्वारा चना, सरसों की बुवाई व पक्की चार दीवारी का निर्माण कर रखा है अतिक्रमियों द्वारा अभी तक कब्जा नहीं हटाया है। जिससे अपीलान्ट का मौके पर अतिक्रमण होना जाहिर होने पर अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

हमने न्यायालय की पत्रावली का एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं चिन्तन–मनन किया। अपील व अपीलान्ट वकील की बहस एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्ट आराजी खसरा न0 262/471 रकबा 0.09 है0 में से 0.05 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमी सिद्ध होना पाया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रैणी का निर्णय दिनांक 03.02.2020 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

24.5.2022
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 03.02.2020 को यथावत रखा जाता है। प्रकरण में जारी स्थगन आदेश दिनाक 19.02.2020 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/05/2022

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)